

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 29 / 2023 (GCMS No. 2023/276)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1- हीराराम पुत्र हरजीराम, जाति विश्णोई, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर जरिये आम मुख्तयार कुन्दनमल गांधी पुत्र राधावल्लभ गांधी, जाति गांधी निवासी 158, खेतानाडी, मण्डोर रोड, जोधपुर		1- परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जोधपुर 2- भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर 3- तहसीलदार, लूणी

आर्बीट्रेशन आवेदन/प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थिति:-

दिनांक: 26.08.2025

1. श्री आनन्द पुरोहित (वरिष्ठ अधिवक्ता-प्रार्थीपक्ष)- उपस्थित
2. श्री महेन्द्र कुमार छंगाणी (अप्रार्थीपक्ष-01 के अधिवक्ता)- उपस्थित
3. अप्रार्थीपक्ष 2 व 3-अनुपस्थित

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थ (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की स्वयं की एक पट्टा सुदा जायदाद खसरा नं. 794/9 रकबा 0.01.16 गै.मु. भूमि वाके ग्राम कांकाणी तहसील लूणी, जिला जोधपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर आयी हुई है व कुन्दनमल गांधी प्रार्थी हीराराम का आम मुख्तयार हूं। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 जोधपुर पाली खण्ड द्वारा सड़क चौड़ी करने हेतु एक विज्ञप्ति भूमि आवाप्त हेतु प्रेषित की जिसकी पालनार्थ प्रथमबार जब नेशनल हाईवे कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट बनाई गई तो प्रार्थी द्वारा संचालित होटल/ढाबा जो नेशनल हाईवे के नियमानुसार सड़क चौड़ीकरण की सीमा में होने के कारण प्रार्थी स्वयं ने उक्त होटल व ढाबे को बावण्डी सीमा के बाहर पुनः निर्माण कर दिया गया। ततः पश्चात जब मुआवजा व प्रयोजना अधिकारियों द्वारा व भूमि आवाप्ती अधिकारी द्वारा खसरा न. 794/9 में निर्मित होटल/ढाबा व जमीन का मुआवजा देने में प्रार्थी को बार बार परेशान किया जबकि प्रार्थी के उक्त होटल/ढाबे के निर्माण व जमीन तहसीलदार लूणी द्वारा एक मौका रिपोर्ट भूमि आवाप्ती अधिकारी को दिनांक 08.01.



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

2018 को पत्र संख्या 2018/207 द्वारा मौजा कांकाणी के खसरा न. 794/9 के रकबा 0.0.1.9 बीघा भूमि प्रार्थी हीराराम पुत्र हरजीराम के नाम से दर्ज है तथा मौके पर उक्त भूमि में 30 x 31 वर्गफुट में होटल ढाबा तथा 17 x 11 फुट की निर्मित दुकान जिसे आवाप्ती सुदा भूमि से होटल व दुकान को हटाकर पुनः सड़क सीमा के बाहर निर्माण किया गया। तहसीलदार जी मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की पट्टा सुदा भूमि में से कुल 1327 वर्गफुट भूमि अवाप्ति क्षेत्र में आता है जिसमें 567 वर्गफुट पर पक्का निर्माण है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार लूणी द्वारा सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर को पेश की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर द्वारा तहसीलदार लूणी की मौका रिपोर्ट के बावजूद भी प्रार्थी को मुआवजा नहीं दिया गया तथा कार्यालय परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त जोधपुर द्वारा दिनांक 25.01.2021 को एक पत्र दिया गया जिसमें उन्होंने बिना किसी आधार के प्रार्थी की अवाप्त सुदा भूमि को सड़क सीमा से दूर होना बताकर मुआवजा देने से इंकार कर दिया जिनकी पालना में माननीय सक्षम अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 02.02.2021 पारित कर दिया जिस बाबत प्रार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या. 1287/2023 पेश की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इस आदेश के साथ वापिस लोटाई की सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे जिसकी पालना में प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करता है। सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरित तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। सक्षम अधिकारी ने महज क्यासी दलीलो पर प्रार्थी का मुआवजा नहीं देने में कानूनी भूल की है तथा तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत मौका मय पटवारी रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य को दर किनार करते हुए प्रार्थी को मुआवजा देने प्रार्थना पत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है। प्रार्थी ने बार बार भूमि अवाप्ति अधिकारी व परियोजना निदेशक को लिख कर दिया व परियोजना अधिकारियों द्वारा भी बार बार प्रार्थी को झांसे देते रहे जबकी तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने मात्र इंसानियत के नाते अपने निर्माण सुदा होटल व ढाबा को सड़क सीमा से हटाकर सड़क सीमा के बाहर पुनः निर्माण किया गया जबकी तहसीलदार लूणी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है सभी ने माना है कि खसरा नं0 794/9 की भूमि में से 1367 वर्गफुट क्षेत्र अवाप्ति में आता है जिसमें 567 वर्गफुट में पक्का निर्माण है लेकिन उसके बावजूद भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थी का मुआवजा निरस्त किया जाना गैर कानूनी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2023 को इस निर्देश के साथ लौटाया था कि नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र को समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द निस्तारण जावे। प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थी को 1327 वर्गफुट व 567 वर्गफुट निर्माण का नियमानुसार प्रार्थी को मुआवजा दिलाया जावे व जिस दिन भूमि अवाप्त की गई उस दिन से मुआवजा राशि पर नियमानुसार ब्याज राशि दिलाई जाने का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर 29/2023 (GCMS No. 2023/276) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष-01 व 02 के नोटिस बाद तामिल लौटे। अप्रार्थीपक्ष 02 की ओर से दिनांक 21.08.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर जिसे सामिल पत्रावली किया गया, प्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 28.08.2024 को जवाब उल जवाब लिखित बहस प्रस्तुत की, अप्रार्थीपक्ष-02 की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट राजकाज रेफ. 12994337 दिनांक 14.01.2025 प्रस्तुत की, अप्रार्थीपक्ष-01 अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दिनांक 25.02.2025 को प्रस्तुत की गई तथा प्रार्थीपक्ष द्वारा लिखित बहस दिनांक 19.08.2025 को प्रस्तुत की, उक्त समस्त दस्तावेज को सामिल पत्रावली



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

अप्रार्थीपक्ष 01 के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 21.08.2024 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्य में आरम्भिक आपत्तियां इस प्रकार है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र देरीना प्रस्तुत किया गया है इन परिस्थितियों में भी प्रार्थना पत्र म्याद में नहीं होने के कारण काबिले निरस्ती के है। मामले में सम्पूर्ण जानकारी पूर्व के प्रार्थी के आम मुस्तयार की थी, उसके द्वारा इसी रेकॉर्ड के विरुद्ध पूर्व में प्रार्थना पत्र दिये थे। अप्रार्थीपक्ष 01 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पदवार जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में जो तथ्य लिखे गये है वह पूर्णतया गलत है जो प्रार्थी सक्षम साक्ष्य से साबित करें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में जो तथ्य लिखे गये है वह पूर्णतया गलत है। प्रार्थी की किसी भी प्रकार की भूमि अवाप्ति नहीं की गयी तथा ना ही उसके किसी निर्माण को अप्रार्थीगण द्वारा हटाया गया। इन परिस्थितियों में भी प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में जो तथ्य लिखे गये है वह गलत है, उक्त में भी प्रार्थी द्वारा पूर्णतया आधारहीन तथ्यों के आधार पर लिखा गया है। जब अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की किसी भी प्रकार की कोई भूमि को अवाप्त ही नहीं किया गया तो उसको किसी भी प्रकार का मुआवजा एवं निर्माण का मुआवजा प्राप्त करने का किसी भी प्रकार से हक अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा मात्र अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में जो तथ्य लिखे गये है वह गलत है, प्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं बनायी गयी तथा ना ही प्रार्थी की भूमि अवाप्त की गयी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर पद संख्या 1 में जो तथ्य लिखे गये है वह पूर्णतया गलत है, आदेश किस प्रकार से कानूनन गलत है उसका उल्लेख नहीं किया गया है मात्र मिथ्या रूप से आदेश को आक्षेपित किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार के पद संख्या 2 में जो तथ्य लिखे गये है वह पूर्णतया गलत है, प्रार्थी की भूमि की किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं बनायी गयी तथा ना ही वह मुआवजा प्राप्त करने का हक अधिकारी है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद सं. 3 में जो तथ्य लिखे गये है वह पूर्णतया गलत है, जब प्रार्थी की भूमि अवाप्त ही नहीं की गयी तो उसको ज्ञासे देने के जो तथ्य लिखे गये है वह पूर्णतया गलत हैं आदेश पूर्णतया विधि अनुसार पारित किया गया था मात्र अनुचित रूप से राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अलग से बनायी गयी है जबकि सर्वे के समय चार विभागों द्वारा संयुक्त रूप से रिपोर्ट बनायी जाती है उसी के अनुसार प्रार्थी का कोई भी भाग रोड सीमा में नहीं आया। ना ही उसको रोड सीमा में मिलाया गया। इन परिस्थितियों में प्रार्थी किसी भी रूप से मुआवजा प्राप्त करने का हक अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार के पद सं. 4 में जो तथ्य लिखे गये है वह भी पूर्णतया गलत है, उच्च न्यायालय के निर्देश के सम्बन्ध में जो तथ्य लिखे है वह निर्देशात्मक थे आदेशात्मक नहीं थे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्व में भी सही रूप से निस्तारण किया गया था उनका कोई भी आधार नहीं बनता है इन परिस्थितियों में भी प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। जवाब प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सब्यय निरस्त किये जाने की का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात प्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 28.08.2024 को प्रस्तुत जवाब उल जवाब लिखित बहस इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 10/04/15 को न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी तथा अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर के द्वारा आदेश पारित किया गया जिसमें उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के मुआवजे के राष्ट्रीय वितरण के होने व प्रार्थी के साथ अन्य लोगों द्वारा भी मुआवजा की राशि का प्रार्थना पत्र लिया गया जो की सभी एक कतार में आई गई व सभी प्रार्थीगणों के पट्टे एक ही समान थे केवल प्रार्थी को छोड़कर अन्य सभी को प्रार्थी के राशि अदा कर दी गई जिसका सम्पूर्ण ब्यौरा ए.डी.एम 3 में उपलब्ध है, तत्पश्चात्



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)


द्वारा बार-बार इस संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये-दिनांक 01/10/2018 का प्रार्थना पत्र, दिनांक 22/05/2019 का प्रार्थना पत्र। दिनांक 01/01/2018 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जिस पर तहसीलदार लूणी पटवारी कांकाणी द्वारा पूर्व जांच कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 01/04/2019 मौका फर्द दिनांक 01/01/2018 जिसमें स्पष्ट तिथियां उल्लेख मौके नी 794/9 रकबा 1 बिस्वा 9 बिस्वांशी पट्टासुदा वाणिज्य भूमि पर नाप 38 गुणा 31 फुट होटल व दुकान 17 गुणा 11 फुट जिसमें पाली सड़क 90 फुट दर्शाई हुई थी। उक्त मौके पर जाने पर मौके पर सड़क चौड़ाई के प्रार्थी की करीब 30 गुणा 38 फुट होटल दुकान 17 गुणा 11 फुट दुकान भूमि पर पक्की निश्चित थी, आवंटित क्षेत्र में आने से हटा दिया था। उक्त मौका रिपोर्ट प्रदर्श-1 के अवलोकन से स्पष्ट पता चलता है कि प्रार्थी की होटल व दुकानों को तोड़ा गया व भूमि अवाप्ति की दिनांक 08.01.2018 कार्यालय तहसील लूणी द्वारा ए.डी.एम 3 को एक पत्र लिखते हुए अवगत करवाया गया की अवाप्तिसुदा वाली भूमि निर्मित होटल व दुकान को हटा लिया गया। उक्त पत्र में स्पष्ट अंकिन किया गया है कि 1329 वर्गफुट भूमि अवाप्ति में आता है। दिनांक 04/04/2019 तहसीलदार लूणी के पत्र में स्पष्ट 1 बिस्वा 16 बिस्वांशी दर्ज है अवाप्ति बताया गया है। दिनांक 04.04.2019 पटवारी भू-अभिलेख कांकाणी तहसील लूणी के द्वारा तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें हिरासत पत्र हरजीराम की एक होटल व दुकान बताया गया है जो अवाप्त कर ली गई दिनांक 15.12.2020 को ए.डी.एम 3 के द्वारा परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभिन्यता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर को एक स्मरण पत्र लिखते हुए सभी जानकारी देकर भूमि का मुआवजा परिपत्र 11011/30/2018 एल.ए दिनांक 16.03.2016 के पालना में बनाये जावे उस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन कहा गया था। तत्पश्चात् दिनांक 25.01.2021 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर ए.डी.एम 3 द्वारा प्रार्थी की भूमि सड़क से दूर बताकर मुआवजे की गणना नहीं की गई जबकि तहसीलदार लूणी पटवारी कांकाणी द्वारा बार-बार बताया गया व उक्त तथ्य के बिना जांच किये एन.एच.ए.आई. द्वारा यह कहा गया कि मुआवजे की गणना की आवश्यकता नहीं है जबकि एसडीएम साडब लूणी के द्वारा खसरा संख्या 794 ग्राम काकाणी में एक ही खसरे के 9 पट्टे रोड़ बाउण्डी 30 फिट छोड़कर सभी की बराबर छोड़कर पट्टे जारी किये गये थे और भूमि अवाप्ति 60 फिट छोड़ी कि गई थी। सभी 8 को मुआवजा दिया सिर्फ हीराराम प्रार्थी को नही दिया गया। तहसील लूणी रेवन्यू के सभी अधिकारियों द्वारा भूमि आवाप्ति बताया और ग्रामीण सभी गवाह है हीराराम कि होटल पिछले 50 वर्षों से थी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व उनके सरकारी वकील महोदय कहते है कि हीराराम को मुआवजा नही बनता जो बगैर रेकॉर्ड की जानकारी मनगढ़त कह रहे है लिख रहे है जो सरकार गलत व अन्याय है। उपरोक्त विषय में व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा C.W. 1287/2023 प्रस्तुत की जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तीन माह में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का आदेश दिया गया था। प्रतिवादी (सरकार) जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उस सम्बन्ध किसी प्रकार के कोई भी दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। केवल मनगढ़त आधारों जवाब प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मुआवजा राशि मय ब्याज सहित दिलाने का आदेश करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तवोज प्रस्तुत हुए:-

1-सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/अवाप्ति/एन.एच.65/14/319 दिनांक 10.04.2015 की प्रमाणित प्रति।



उच्च न्यायालय, राजस्थान (जोधपुर) के आदेश दिनांक 16.02.2023 की प्रति।


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

3-परियोजना प्रबंधक एवं अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. रा.उ.मार्ग खण्ड पाली के पत्रांक अअ/राउमा/पा/अंके.पा/2020-21/17053 दिनांक 13.01.21 की प्रमाणित प्रति।

4-परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त-जोधपुर क्रमांक :एसई/एन.एच./जो./2020-21/3602 दिनांक 25.01.2021 की प्रमाणित प्रति।

5-भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर के पत्र क्रमांक: एडीएम-3/एन.एच.65/भूमि-अवाप्ति/2020/3161 दिनांक 15.12.2020, क्रमांक: एडीएम-3/एन.एच.65/भूमि-अवाप्ति/2020/1974 दिनांक 19.02.2020, क्रमांक फा/राज./एन.एच.65/भूमिअवाप्ति/2017/4495 दिनांक 14.12.2017, क्रमांक फा/राज./एन.एच.65/भूमिअवाप्ति/2018/348 दिनांक 25.06.2018, क्रमांक: एडीएम-3/एन.एच.65/भूमि-अवाप्ति/2021/110 दिनांक 02.02.2021 की प्रमाणित प्रति।

6- तहसीलदार (भू.अ.), लूणी के पत्र क्रमांक/भूअ/2018/207 दिनांक 08.01.2018, क्रमांक/भू.अ./2018/2933 दिनांक 16.02.2018, क्रमांक/भू.अ./2023/1142 दिनांक 12.07.2023 की प्रमाणित प्रति।

7- प्रार्थी से संबंधित आममुख्यार-नामा की प्रति।

8- न्यायालय उप तहसीलदार, लूणी द्वारा जारी सनद की प्रति।

9- तहसीलदार (भू.अ.), लूणी के पत्र क्रमांक/भूअ/2019/917 दिनांक 04.04.2019 की प्रति।

10-पटवारी कांकाणी की बिन्दुवार रिपोर्ट दिनांक 05.07.2023, रिपोर्ट दिनांक 29.06.2018 की प्रमाणित प्रति व रिपोर्ट दिनांक 13.10.2016, रिपोर्ट दिनांक 04.04.19 की प्रति।

11-प्रार्थी की भूमि से संबंधित जमाबंदी की प्रमाणित प्रति।

अप्रार्थीपक्ष 02 की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट राजकाज रेफ. 12994337 दिनांक 14.01.2025 में अवगत कराया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 01 में वर्णित तथ्य प्रस्तुत दस्तावेज व रिकॉर्ड के अनुसार है, विवादास्पद नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित तथ्यों के संबंध में (क) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 अ की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जोधपुर-पाली खण्ड) के किमी. 308/0 से 378/115 किमी. तक के भूखण्ड का निर्माण (चोडा करने/चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण/प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए जोधपुर जिले में किमी. 308/0 से 336/400 किमी. के लिए अपेक्षित भूमि संबंधी 3ए अधिसूचना का.आ. 2151(अ) दिनांक 12 जुलाई 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशन एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया। उक्त अधिसूचना में प्रार्थी से संबंधित ग्राम कांकाणी कला के खसरा संख्या 794 की भूमि रकबा 0.1633 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा दर्ज है, एवं 3ए अधिसूचना का.आ. 1214(अ) दिनांक 05 मई 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशन एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया। उक्त अधिसूचना में प्रार्थी से संबंधित ग्राम कांकाणी कला के खसरा संख्या 794, 797/7 एवं 794/10 की भूमि रकबा 0.43470 हैक्टर किस्म क्रमशः गै.मु. मगरा, गै.मु. मकान एवं गै.मु. मकान दर्ज है। (ख) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 घ की उपधारा 2 के अनुसरण में अधिसूचना का.आ. 1213 (अ) दिनांक 05 मई 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशन एवं



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में किया गया। उक्त अधिसूचना में प्रार्थी से संबंधित ग्राम कांकाणी कला के खसरा संख्या 794, 797/7 एवं 794/10 की भूमि रकबा 0.1633 हैक्टर किस्म क्रमशः गै.मु. मगरा, गै.मु. मकान एवं गै.मु. मकान दर्ज है, जिसके हितबद्ध व्यक्ति राजकीय भूमि (794), प्रवीण सिंह पिता जगत सिंह जाति राजपूत सा. जोधपुर (667 वर्ग ग.) ख.स. 794/7, एवं विमल कंवर पत्नी हेमसिंह, हितेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत साकिन शिकरपुरा खातेदार ख.स. 794/10 है। (ग) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशन एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में किया गया। उक्त अधिसूचना में प्रार्थी से संबंधित ग्राम कांकाणी कला के खसरा संख्या 794, 797/7 एवं 794/10 की भूमि रकबा 0.43470 हैक्टर किस्म क्रमशः गै.मु. मगरा, गै.मु. मकान एवं गै.मु. मकान दर्ज है, जिसके हितबद्ध व्यक्ति राजकीय भूमि (794), प्रवीण सिंह पिता जगत सिंह जाति राजपूत सा. जोधपुर (667 वर्ग ग.) ख.स. 794/7, एवं विमल कंवर पत्नी हेमसिंह, हितेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत साकिन शिकरपुरा खातेदार ख.स. 794/10 है। (घ) धारा 3 घ की अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात खसरा संख्या 794 से संबंधित आपत्तिया दर्ज की गई, जिसका निस्तारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 319 दिनांक 10.04.2015 के अनुसार खसरा संख्या 794 रकबा 0.54814 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा की गणना राजकीय भूमि के नाम से, 794/7 रकबा 0.00544 हैक्टर किस्म गै.मु. मकान की गणना प्रवीण सिंह पिता जगत सिंह जाति राजपूत सा. जोधपुर (667 वर्ग ग.) नाम से 794/10 रकबा 0.00980 हैक्टर किस्म गै.मु. मकान की गणना विमल कंवर पत्नी हेमसिंह, हितेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत साकिन शिकरपुरा 794 रकबा 0.00016 हैक्टर किस्म गै.मु. वाणिज्य की गणना दुर्गाराम पुत्र अमराराम कौम पटेल सा. कांकाणी एवं 794 रकबा 0.03446 हैक्टर किस्म गै.मु. सड़क की गणना सरकारी सड़क के नाम से करने के आदेश दिये गये। जिसमें प्रार्थी हिराराम द्वारा भी आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, जिसके दस्तावेजों की जांच करने पर प्रार्थी की भूमि अवाप्त की जा रही सड़क सीमा से दूर स्थित होना पाये जाने से मुआवजा राशि की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। (ङ) इस कार्यालय के अवार्ड आदेश क्रमांक 332 दिनांक 10.04.2015 के अनुसार प्रार्थी की अवाप्त भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 794 रकबा 0.54814 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा की गणना राजकीय भूमि के नाम से, 794/7 रकबा 0.00544 हैक्टर किस्म गै.मु. मकान की गणना प्रवीण सिंह पिता जगत सिंह जाति राजपूत सा. जोधपुर (667 वर्ग ग.) नाम से एवं 794/10 रकबा 0.00980 हैक्टर किस्म गै.मु. मकान की गणना विमल कंवर पत्नी हेमसिंह, हितेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत साकिन शिकरपुरा, 794 रकबा 0.00016 हैक्टर किस्म गै.मु. वाणिज्य की गणना दुर्गाराम पुत्र अमराराम कौम पटेल सा. काकाणी एवं 794 रकबा 0.03446 हैक्टर किस्म गै.मु. सड़क की गणना सरकारी सड़क के नाम से की गई। (च) इस कार्यालय के अवार्ड आदेश क्रमांक 332 दिनांक 10.04.2015 के अनुसरण में हितबद्ध व्यक्ति विमल कंवर पत्नी हेमसिंह, हितेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत साकिन शिकरपुरा को नियमानुसार टीडीएस 90450 रुपये काटकर मुआवजा राशि 814045.20 रुपये का भुगतान जरिये बैंक संख्या 16004 दिनांक 29.06.2015 को एवं दुर्गाराम पुत्र अमराराम कौम पटेल सा. काकाणी को मुआवजा राशि 73923.88 रुपये का भुगतान जरिये बैंक संख्या 16005 दिनांक 29.06.2015 को किया गया। (छ) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देशानुसार कार्यालय द्वारा संशोधित अवार्ड आदेश क्रमांक 2978 दिनांक 14.09.2017 को जारी किया गया, तथा हितबद्ध व्यक्ति विमल कंवर पत्नी हेमसिंह, हितेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत साकिन शिकरपुरा को नियमानुसार टीडीएस 103267 रुपये काटकर मुआवजा राशि 929408 रुपये का भुगतान जरिये आरटीजीएस पत्रांक 02 दिनांक 01.01.2018 को एवं दुर्गाराम पुत्र अमराराम पटेल सा. काकाणी को मुआवजा राशि 78109 रुपये का भुगतान जरिये आरटीजीएस



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

पत्रांक 1819 दिनांक 21.05.2018 को किया गया। उपरोक्त अवार्ड में प्रार्थी हिराराम के नाम से किसी प्रकार के निर्माण एवं मुआवजा राशि जारी नहीं की गई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 03 में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रार्थी हिराराम पुत्र हरजीराम विश्नोई ने इस कार्यालय में न्यायालय उप तहसीलदार द्वारा जारी रानद एवं खसरा 794/9 की जमाबन्दी(हिराराम के नाम) संलग्न कर मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, ग्राम कांकाणी के खसरा सं. 794/9 की अवाप्ति से प्रभावित भूमि की जांच तहसीलदार लुणी से करवाई गई, तहसीलदार लुणी की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की 1327 वर्गफीट भूमि अवाप्ति से प्रभावित हो रही है, जिसमें से 567 वर्गफीट में पक्का निर्माण था, जो प्रार्थी द्वारा स्वयं हटा लिया गया है। उक्त प्रभावित भूमि के अवार्ड बनाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एवं प्रार्थी हिराराम का कोई निर्माण प्रभावित होने की रिपोर्ट परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता रा.रा.सा.नि.वि. जोधपुर से ली गई। उक्त तहसीलदार की रिपोर्ट के संबंध में प्रार्थी हिराराम से संबंधित निर्माण एवं संरचना की रिपोर्ट परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता रा.रा.सा.नि.वि. जोधपुर से ली गई। परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता रा.रा.सा.नि.वि. जोधपुर जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी हिराराम का कोई निर्माण अवाप्त भूमि में प्रभावित नहीं हुआ है, एवं इस कार्यालय के पत्रांक 319 दिनांक 10.04.2015 के क्रमांक 3 अनुसार प्रार्थी की भूमि अवाप्त की जाने वाली सड़क सीमा से दूर होने से प्रार्थी हिराराम के नाम मुआवजा गणना करने की आवश्यकता नहीं है तथा परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता रा.रा.सा.नि.वि. जोधपुर जांच रिपोर्ट एवं इस कार्यालय द्वारा जारी अवार्ड में संशोधन करने में सक्षम नहीं होने के आधार पर इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी का मुआवजा बनाया जाना संभव नहीं होने के कारण प्रार्थी को जरिए पत्रांक 110 दिनांक 02.02.2022 द्वारा सूचित किया जा चुका है। रिपोर्ट में आगे बतलाया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार बिन्दु 01 सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार जारी किये गये है, यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार के बिन्दु 02 के क्रम में सक्षम अधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिनियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नियमानुसार अवार्ड जारी किया गया है। तहसीलदार लुणी की रिपोर्ट को परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता रा.रा.सा.नि.वि. जोधपुर अग्रेषित कर रिपोर्ट ली गई, उक्त रिपोर्ट एवं इस कार्यालय के पत्रांक 319 दिनांक 10.04.2015 के क्रमांक 3 अनुसार प्रार्थी की भूमि अवाप्त की जाने वाली सड़क सीमा से दूर होने से प्रार्थी हिराराम के नाम मुआवजा गणना करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रार्थी के नाम अवार्ड जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार बिन्दु 03 के संबंध में प्रार्थी के निर्माण की रिपोर्ट परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता रा.रा.सा.नि.वि. जोधपुर से ली गई, उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी हिराराम का कोई निर्माण अवाप्त भूमि में नहीं होना बताया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार के बिन्दु संख्या 04 व 05 के तथ्य निर्धारित प्रक्रिया आधारित तथ्य है, जो विवादास्पद नहीं है।

अप्रार्थीपक्ष 01 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.02.2025 को प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्य इस प्रकार है कि उचित मुआवजा निर्धारण करने के लिये जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतया गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो भुगतान किया गया है वह विधि अनुसार भुगतान किया गया है। प्रार्थी स्वयं द्वारा जो भूमि का प्रकार उल्लेखित किया गया है वह खसराजात भूमि है और खसराजात भूमि का मुआवजा खसराजात तरीके से उसकी किस्म के अनुसार दिया गया है, इन परिस्थितियों में वह उक्त भूमि के लिये वाणिज्यिक और रहवासीय दर से भुगतान प्राप्त करने के हक अधिकारी नहीं है। मात्र भूमि की किस्म बदलाये बगैर उस पर अवाप्ति की कार्यवाही शुरू होने के समय ढालिया बनाकर ढाबे का रूप देने करने से भूमि की किस्म नहीं बदलती है। भूमि संपरिवर्तन नहीं होने तक वाणिज्यिक



जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला नजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

किरम से कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उचित मुआवजा निर्धारण नहीं करने के सम्बन्ध में जो तथ्य लिखे गये हैं वह गलत है, बाजार दर का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी जो तहसीलदार, पटवारी, महानिरीक्षक पंजीयक और पीडब्ल्यूडी विभागों की कमेटी द्वारा दरो का निर्धारण किया जाता है उसी अनुसार दी गयी है। प्रार्थी द्वारा बिना साक्ष्य और बिना दस्तावेजों के आधार पर करने के जो तथ्य लिखे गये हैं वह पूर्णतया गलत हैं कमेटी द्वारा आस पास की डीएलसी दरे एवं अन्य पैमाने जो प्रत्येक भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में निश्चित है उसी अनुसार कार्यवाही की गयी है। मुआवजा निर्धारण करने का सारवान आधार नहीं लिखने और दस्तावेज के सम्बन्ध में जो तथ्य लिखे गये हैं वह पूर्णतया गलत है। फियूचर प्रोटेंशन एवं वर्तमान उपयोग के सम्बन्ध में तथ्य लिखे गये हैं वह गलत है। आज भी कृषि भूमि के रूप में भूमि काम आ रही है। नये अधिनियमों के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया गया है। मध्य बिन्दु से 132 फीट दोनों तरफ निर्माण कार्य नहीं होने के जो तथ्य लिखे गये हैं वह नियम है, जो सब पर लागू होते हैं। मात्र एक पर लागू नहीं होते हैं उसकी भूमि पहले जिस काम में आ रही थी वर्तमान में भी उसी काम में आ रही है। इन परिस्थितियों में वह कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा भूमि पर निर्माण के सम्बन्ध में राशि कम देने के तथ्य लिखे गये हैं, वहां पर यानि की प्रार्थी की भूमि पर कोई भी निर्माण नहीं था, वह खेती भूमि थी और आज भी खेती की भूमि है। इन परिस्थितियों में फियूचर प्रोटेंशन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नगर नगम क्षेत्र में कृषि भूमि का वाणिज्यिक आधार नहीं हो सकता है या कृषि भूमि नगर पालिका क्षेत्र में आ जाने मात्र से स्वतः ही वाणिज्यिक और रहवासीय भूमि नहीं हो जाती है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी कोई लाभ प्राप्त करने का हक अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय के समक्ष जो आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हैं वह माध्यस्थ अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तुत की गयी हैं जिसका क्षेत्राधिकार सीमित है इन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा यह निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में जो मुआवजा निर्धारित किया है वह उचित मुआवजा है और उसी दर से सम्पूर्ण भूमि अवाप्ति वालों को दिया गया है और माननीय अधिकरण द्वारा भी इसी रोड के सम्बन्ध में दायर की गयी उपरोक्त प्रकार की याचिकायें जो 50 याचिकायें थी जो एक समान के प्रकरणों में पूर्व में न्यायालय द्वारा निर्धारण किया जा चुका है इन परिस्थितियों में नये तरीके से निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

प्रार्थीपक्ष की ओर दिनांक 19.08.2025 को प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की स्वयं की एक पट्टा सुदा जायदाद खसरा नं. 794/9 रकबा 0.01.16 गै.मु. भूमि वाके ग्राम कांकाणी तहसील लूणी, जिला जोधपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर आयी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1-2 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 जोधपुर पाली खण्ड द्वारा सड़क चौड़ी करने हेतु एक विज्ञप्ति भूमि आवाप्त हेतु प्रेषित की जिसकी पालनार्थ प्रथमबार जब नेशनल हाईवे कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट बनाई गई तो प्रार्थी द्वारा संचालित होटल/ढाबा जो नेशनल हाईवे के नियमानुसार सड़क चौड़ीकरण की सीमा में होने के कारण प्रार्थी को हटाने के लिए कहने पर प्रार्थी स्वयं ने उक्त होटल व ढाबे को बावण्डी सीमा के बाहर पुनः निर्माण कर दिया गया। तत्पश्चात जब मुआवजा व प्रयोजन अधिकारियों द्वारा व भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा खसरा न. 794/9 में निर्मित होटल/ढाबा व जमीन का मुआवजा देने में प्रार्थी को बार बार परेशान किया जबकि प्रार्थी के उक्त होटल/ढाबे के निर्माण व जमीन बाबत तहसीलदार लूणी द्वारा एक मौका रिपोर्ट भूमि अवाप्ति अधिकारी को दिनांक 08.01.2018 को पत्र संख्या 2018/207 द्वारा मौजा कांकाणी के खसरा न. 794/9 के रकबा 0.0.1.9 बीघा भूमि प्रार्थी हीराराम पुत्र हरजीराम के नाम से दर्ज है तथा मौके पर उक्त भूमि में 30 X 31



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

होटल व दुकान को हटाकर पुनः सड़क सीमा के बाहर निर्माण किया गया। तहसीलदार जी मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की पट्टा सुदा भूमि में से कुल 1327 वर्गफुट भूमि अवाप्ती क्षेत्र में आता है जिसमें 567 वर्गफुट पर पक्का निर्माण है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार लूणी द्वारा सक्षम भूमि अवाप्ती अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर तृतीय जोधपुर को पेश की गई। भूमि अवाप्ती अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर तृतीय जोधपुर द्वारा तहसीलदार लूणी की मौका रिपोर्ट के बावजूद भी प्रार्थी को मुआवजा नहीं दिया गया तथा कार्यालय परियोजना निदेशक एवं अधिक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त जोधपुर द्वारा दिनांक 25.01.2021 को एक पत्र दिया गया जिसमें उन्होंने बिना किसी आधार के प्रार्थी की अवाप्त सुदा भूमि को सड़क सीमा से दूर होना बताकर मुआवजा देने से इंकार कर दिया जिनकी पालना में सक्षम अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 02.02.2021 पारित कर दिया जिस बाबत प्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या. 1287/2023 पेश की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इस आदेश के साथ वापस लौटाई की सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे जिसकी पालना में प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र श्रीमान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। सक्षम अधिकारी ने महज क्यासी दलीलो पर प्रार्थी का मुआवजा नहीं देने में कानूनी भूल की है तथा तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत मौका मय पटवारी रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य को दरकिनार करते हुए प्रार्थी को मुआवजा देने प्रार्थना पत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है। प्रार्थी ने बार बार भूमि अवाप्ती अधिकारी व परियोजना निदेशक को लिख कर दिया व परियोजना अधिकारियों द्वारा भी बार बार प्रार्थी को झांसे देते रहे जबकी तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उनके तथ्यों व भूमि अवाप्ति कार्यालय/एन.एच. अधिकारियों के इस आश्वासन पर विश्वास करते हुए कि आपके निर्माण और भूमि का मुआवजा हमने रिकॉर्ड में ले लिया व आपको निर्माण और भूमि का मुआवजा दे दिया जायेगा आप स्वयं निर्माण हटा लीजिए। इस आधार पर अपने निर्माण सुदा होटल व ढाबा को सड़क सीमा से हटाकर सड़क सीमा के बाहर पुनः निर्माण किया गया जबकि तहसीलदार लूणी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है सभी ने माना है कि खसरा नं0 794/9 की भूमि में से 1367 वर्गफुट क्षेत्र अवाप्ती में आता है जिसमें 567 वर्गफुट में पक्का निर्माण है। लेकिन उसके बावजूद भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थी का मुआवजा निरस्त किया जाना गैर कानूनी है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 10/04/15 को न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी तथा अपर जिला कलेक्टर तृतीय जोधपुर के द्वारा आदेश पारित किया गया जिसमें उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के मुआवजे के वितरण के होने व प्रार्थी के साथ अन्य लोगों हितेन्द्र सिंह पुत्र हेमसिंह खसरा संख्या 694/10, विमल कंवर पत्नी हेमसिंह 694/7, सुखदेवी पत्नी लिछमाराम को भी मुआवजा की राशि का प्रार्थना पत्र लिया गया जो की सभी एक कतार में आई गई भूमि के संबंध में था व सभी प्रार्थीगणों के पट्टे एक ही समान थे केवल प्रार्थी को छोड़कर अन्य सभी को मुआवजे की राशि अदा कर दी गई जिसका सम्पूर्ण ब्यौरा ए.डी.एम 3 में उपलब्ध है जबकि उन सभी मुआवजा दिया गया व प्रार्थी को नहीं दिया गया, इस हेतु श्रीमान से निवेदन है कि उनके मुआवजों की पत्रावली व प्रार्थी के मुआवजे की पत्रावली का भी भौतिक निरीक्षण किया जावे जिससे प्रार्थी के साथ हुए इस गैरकानूनी रैवये का पता चल जायेगा। तहसीलदार लूणी पटवारी कांकाणी द्वारा पूर्व जांच कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 01/04/2019 मौका फर्द दिनांक 01/01/2018 जिसमें स्पष्ट तिथियां उल्लेख मौके नी 794/9 रकबा 1 बिस्वा 9 विस्वांशी पट्टासुदा वाणिज्य भूमि पर नाप 38 गुणा 31 फुट होटल व दुकान 17 गुणा 11 फुट जिसमें पाली सड़क 90 फुट दर्शाई हुई थी। उक्त मौके पर जाने पर मौके पर उपस्थिति जन होने बताया कि सड़क चौड़ाई के प्रार्थी की करीब 30 गुणा 38 फुट होटल दुकान 17 गुणा 11 फुट दुकान भूमि पर पक्की निश्चित थी, आवंटित क्षेत्र में आने से हटा दिया था उक्त मौका रिपोर्ट प्रदर्श-1 के अवलोकन से स्पष्ट पता चलता है कि प्रार्थी की होटल व दुकानों को तोडा गया



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

व भूमि अवाप्ति की दिनांक 08.01.2018 कार्यालय तहसील लूणी द्वारा ए.डी.एम 3 को एक पत्र लिखते हुए अवगत करवाया गया की अवाप्तिरुदा वाली भूमि निर्मित होटल व दुकान को हटा लिया गया। उक्त पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया है कि 1329 वर्गफुट भूमि अवाप्ति में आता है। तत्पश्चात् दिनांक 04/04/2019 तहसीलदार लूणी के पत्र में श्री स्पष्ट 1 विस्वा 16 बिस्वांशी दर्ज है अवाप्ति बताया गया है। दिनांक 04.04.2019 पटवारी भू-अभिलेख कांकाणी तहसील लूणी के द्वारा तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें हिरासत पत्र हरजीराम की एक होटल व दुकान बताया गया है जो अवाप्त कर ली गई दिनांक 15.12.2020 को ए.डी.एम 3 के द्वारा परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभिन्यता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर को एक स्मरण पत्र लिखते हुए सभी जानकारी देकर भूमि का मुआवजा परिपत्र 11011/30/2018 एल.ए दिनांक 16.03.2016 के पालना के पालना में बनाये जावे उस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन कहा गया था। दिनांक 25.01.2021 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर ए.डी.एम 3 द्वारा प्रार्थी की भूमि सड़क से दूर बताकर मुआवजे की गणना नहीं की गई जबकि तहसीलदार लूणी पटवारी कांकाणी द्वारा बार-बार बताया गया व उक्त तथ्य के बिना जांच किये एन.एच. आई द्वारा यह कहा गया कि मुआवजे की गणना की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप तहसीलदार, लूणी दिनांक 09.05.1990 को जारी सनद में भी प्रार्थी की भूमि का वाणिज्यिक होटल/दुकान हेतु स्वीकृति/अनुमति होकर संबंधित खसरा की भूमि में निर्मित होटल/दुकान का अंकन किया गया है जिसकी प्रति में बहस के साथ पुनः उपलब्ध करवा रहा है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपतहसीलदार लूणी द्वारा जारी उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए भी संबंधित तहसील में सम्पर्क कर आवेदन किया गया परन्तु प्रार्थी को उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति आज तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिससे प्रार्थी न्यायालय के समक्ष उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा सके। तहसीलदार लूणी द्वारा भी पत्रांक 1142 दिनांक 12.07.2023 द्वारा उक्त भूमि अवाप्ति से संबंधित जारी जांच रिपोर्ट में भी बताया गया है कि प्रार्थी का खसरा संख्या 794 में न्यायालय उपतहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 09.05.1990 की सनद जारी की गई व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड-ग्राम कांकाणी के खसरा नम्बर 794/9 रकबा 0.0146 गै. मुमकीन वर्तमान जमाबंदी खाता नम्बर 428 में प्रार्थी की खातेदारी किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि दर्ज है। रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 03 में तत्कालीन पटवारी कांकाणी की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2016 के अनुसार प्रार्थी के ग्राम कांकाणी में खसरा नम्बर 794/9 रकबा 0-01-16 गै.मुमकीन भूमि आई हुई है जो एन.एच.-65 के लगते हुए खसरा नम्बर 794 में आई हुई है उक्त खसरे में हीराराम द्वारा ढाबा का संचालन किया जा रहा था, पूर्व में ढाबा/होटल सड़क से लगता हुआ था जो कि सड़क चौड़ीकरण होने से हटा दिया गया, पूर्व में जहां ढाबा, दुकान था वह भूमि सड़क चौड़ीकरण में अवाप्त हो गई, रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का ढाबा सड़क चौड़ीकरण में अवाप्त होना स्पष्ट रूप से बताया गया। रिपोर्ट में आगे पटवारी हल्का कांकाणी की मौका फर्द दिनांक 01.01.2018 के अनुसार खसरा नं. 794/9 के मौके पर प्रार्थी के 31 गुणा 38 वर्गफीट होटल में होटल, दुकान व 17 गुणा 11 वर्गफीट में दुकान की भूमि जिसमें होटल व दुकान का पक्का निर्माण होना बताया व अवाप्ति क्षेत्र में आने से उक्त निर्माण को हटाना बताया है व उक्त होटल व दुकान को पुनः बनाना बताया है, रिपोर्ट अनुसार कुल 1327 वर्गफीट क्षेत्रफल अवाप्त हुआ। उक्त रिपोर्ट में पत्रांक 2933 दिनांक 16.02.2018 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी को भिजवाई गई रिपोर्ट के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पत्रांक 348 दिनांक 25.06.2018 द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया कि अवाप्ति से प्रभावित 1327 वर्गफीट भूमि के पक्के निर्माण किया है वह अवाप्त सुदा भूमि पर है या नहीं अथवा अवाप्ति से प्रभावित भूमि को छोड़कर किया गया है, इस बाबत कार्यालय के पत्रांक भू.अ./2018/207 दिनांक 08.01.18 द्वारा बताया गया है, इस पत्र में अवाप्त सुदा भूमि में निर्मित होटल दुकान को हटा दिया गया था, प्रार्थी ने पुनः



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

सड़क रोड़ सीमा की भूमि को छोड़कर निर्माण कर दिया गया जिसका विवरण यह बताया गया कि प्रार्थी की भूमि में से कुल 1327 वर्गफीट क्षेत्र अवाप्त हुआ जिसमें से 567 वर्गफीट पर पक्का निर्माण होना बताया गया था जो अवाप्त हुआ। जिसकी प्रमाणित प्रति आपके न्यायालय के पत्रावली के रिकॉर्ड में उपलब्ध कराये गये है तथा रिपोर्ट में वर्णित अन्य दस्तावेज भी पत्रावली में उपलब्ध कराये गये है। इसके बावजूद भी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त स्पष्ट रिपोर्ट आने पर भी मुआवजे की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि पैरा संख्या 6 में वर्णित अन्य प्रार्थीगण को मुआवजा दिया गया। अगर माननीय न्यायालय को संशय है तो प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड या मौके की जांच हेतु पुनः तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी लूणी से जांच या वर्तमान के भूमि अवाप्ति अधिकारी से जांच कर मुआवजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में किसी भी तथ्य का कोई सरकारी रिकॉर्ड/रिपोर्ट की प्रति या प्रमाणित प्रति या किसी सरकारी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया गया है मात्र काल्पनिक तथ्यों को लिख दिया जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी सरकारी दस्तावेज/सनद/रिपोर्ट का कोई कानूनी तथा साक्ष्यों के साथ खंडन नहीं किया गया है जो प्रार्थी के तथ्यों को प्रमाणित करता है। लिखित बहस के अंत में प्रार्थी को 1327 वर्गफुट व 567 वर्गफुट निर्माण का नियमानुसार ब्याज सहित मुआवजा दिलाये जाने के आदेश अप्रार्थीगण को दिया जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीपक्ष की ओर प्रार्थी की भूमि 1327 वर्गफुट व 567 वर्गफुट निर्माण का नियमानुसार मुआवजा एवं भूमि अवाप्ति के दिन से मुआवजा राशि पर नियमानुसार ब्याज राशि दिलाई जाने के आदेश दिये जाने की इस्तदुआ की। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रार्थी की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई है अथवा नहीं। अतः प्रकरण को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर को पुनः प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से संबंधित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई है या नहीं इस हेतु राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की जांच कर अवाप्ति की स्थिति में नियमानुसार मुआवजा निर्धारण करें। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। पंचाट की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।



(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

यह पंचाट आज दिनांक 26.08.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)